



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार की स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कर्मशाला
कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010

ई-नीलामी
सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अधीन अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना, आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (री) और गारंटीदाता (ओ) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पड़ी/प्रमारित निम्नवर्गित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्बन्धित कर्जदार (री) और गारंटीदाता (ओ) से बैंक प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी के अंकितानुसार तिथि को "जैसी है जहाँ है", "जो भी है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्बन्धित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय — 127-128, अक्षित विहार, पर्वेडा रोड, मुजफ्फरनगर — 251001

क्र. सं.	ऋणी/गारंटर का नाम और पता	संपत्तियों का विवरण	गांग सूचना की दिनांक	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य
			डिमांग नोटिस के अनुसार राशि		अग्रिम धनराशि वृद्धि बोली
1	श्री राजेंद्र पुत्र नेहरू सिंह और श्रीमती पूनम पत्नी राजेंद्र (ऋणी) और श्री संजीव कुमार पुत्र सतबीर और श्रीमती राजेश कुमार पत्नी राम कुमार (गारंटर)। शाखा: शामली	अचल सम्पत्ति/आवासीय प्लॉट के सभी भाग व हिस्से और उस पर कंस्ट्रक्शन शामिल है, खसरा नंबर 766 के मकान नं. 235/6, मोहल्ला मनीयारान (दीन दयाल कॉलोनी), तहसील और जिला शामली में है जिसका कुल क्षेत्रफल 64.70 वर्ग मीटर ऋणी/बंधककर्ता श्री राजेंद्र कुमार, पुत्र श्री नेहरू चौहददी: पूर्व: श्रीमती मुनेश पत्नी सुरेंद्र सिंह का घर पश्चिम: रास्ता 6 फीटर चौड़ा और फकीर चंद के प्लॉट का हिस्सा उत्तर: श्रीमती ओमी पत्नी सहेंद्र का घर दक्षिण: रास्ता 12' चौड़ा	13.12.2016	सांकेतिक कब्जा	₹. 11,67,000/-
			₹. 4,17,818/- + further Interest and other expenses		₹. 1,16,700/- ₹. 10,000/-
2	श्री गयूर पुत्र वाहिद (ऋणी) और श्री सोनू पुत्र श्री यासीन (गारंटर)। शाखा: शामली	अचल सम्पत्ति/आवासीय प्लॉट के सभी भाग व हिस्से और उस पर बना कंस्ट्रक्शन शामिल है, जो खसरा नंबर 1087 के हिस्से में है, जो गांव खेरी करमू, तहसील और जिला शामली में है और जिसका कुल क्षेत्रफल 76.95 वर्ग मीटर ऋणी/बंधककर्ता श्री गयूर पुत्र वाहिद का है। चौहददी: पूर्व: श्रीमती पीतमो का प्लॉट पश्चिम: श्री मेहताब का प्लॉट है। उत्तर: श्रीमती पीतमो का प्लॉट दक्षिण: रास्ता 15 फीट चौड़ा	01.11.2022	सांकेतिक कब्जा	₹. 6,91,000/-
			₹. 5,27,450/- + further Interest and other expenses		₹. 69,100/- ₹. 10,000/-

ई- नीलामी की दिनांक : 27.03.2026, समय: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक (विक्री खत्म होने तक हर बार 5 मिनट का समय बढ़ाया जा सकता है) EMD जमा करने की अंतिम तिथि: 26.03.2026 शाम 04.00 बजे तक
ऊपर दी गई सम्पत्तियों पर अधिभार की जानकारी जैसा कि बैंक को पता है/पता नहीं।

EMD जमा करने की जानकारी: नीलामी के समय बोलीदाता को आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी राशि के लिए खाता संख्या—: 47770015161020, IFSC Code: BARB0BUPGBX, या क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए, किसी भी नेशनलाइज्ड या शेयर्ड बैंक खाते से जमा किया जा सकता है।

ई-नीलामी की नियम एवं शर्त निम्न प्रकार है:-

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर M/s E-Procurement Technologies Limited (ऑक्शन टाइगर) के जरिए किया जाएगा। 2. एसेट्स की डिटेल्स वाले पूरे ई-ऑक्शन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन

ई-नीलामी बिड फॉर्म डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फॉर्म, ऑनलाइन ऑक्शन सेल के जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क सूत्र : श्री मौलिक श्रीमाली, मोबाइल: 9173528727, सपोर्ट कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल: 9265562818 / 9265562819 / 9265562821 / DRM-7217028984 ईमेल एड्रेस: maulik.shrimali@auctiontiger.net OR Support@auctiontiger.net

सुरक्षा हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन का विक्रय नोटिस

इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणकर्ताओं एवं गारंटर/ऋणदाताओं को उपर्युक्त तिथि को ई-नीलामी विक्री के आयोजन के बारे में एक नोटिस भी माना जा सकता है।

दिनांक 25.02.2026	स्थान: शामली	प्राधिकृत अधिकारी
-------------------	--------------	-------------------